

सुप्रीम कोर्ट का फैसला सांसदों का अभियोजन

सुप्रीम कोर्ट ने स्वगत योग्य फैसला दिया है कि रिश्वत के मामलों में सांसदों को अधियोजन का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित रूप से इस उल्लेखनीय निर्णय से व्यवस्था को स्वच्छ बनाने में बहुत मदद मिली, भले ही इससे राजनेता वर्ग थोड़ा असहज ही क्यों न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पुराना फैसले पलटते हुए निर्णय दिया कि रिश्वत के मामलों में सांसदों और विधायिकों का सामना करना आवश्यक है। यदि इसमें भ्रष्टाचार प्रवेश कर जाए तो जनता का विश्वास टूट जाएगा तथा लोकतंत्र की आत्मा नष्ट हो जाएगी। खासकर रिश्वत राजनीतिक प्रक्रियाओं की शुद्धता के लिए एंग्री भर्ता खत्तरा इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया विकृत होती है तथा प्राथमिकताएं बदलती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों की अवधारण विधि-निर्माताओं को विधायी क्षेत्र में कानूनी हस्तक्षेप से सुरक्षा देती है और यह स्वतंत्र बहस व विचार-विषयों का बढ़ावा देते हैं। हालांकि, यह विशेषाधिकार विमर्श प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है, पर इसे सभा के दुरुपयोग या गलत कामों का लाइसेंस नहीं माना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद यह स्थिति बदलने जा रही है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विधि-निर्माता रिश्वत के आरोपों में विशेषाधिकार ड्यूटी सुरक्षित नहीं होते हैं वर्तमान व्याधी की भावना के विकसित होती है। संसदीय विशेषाधिकारों की अवधारण विधि-निर्माताओं को विधायी क्षेत्र में कानूनी हस्तक्षेप से सुरक्षा देती है और यह स्वतंत्र बहस व विचार-विषयों का बढ़ावा देते हैं।

इस निर्णय ने यह अवधारणा रेखांकित की है कि विधि-निर्माता भी कानून से ऊपर नहीं हैं और उनके जांच हो सकती है। इसमें वे जिवाबदेही व्यवस्थाएं भवजूत होती हैं जो जीवन लोकतंत्र के कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं। यह फैसला गलत तरीकों से राजनीतिक प्रक्रियाओं की विकृति के खिलाफ प्रतिरोधक है। जिसमें राजनेताओं के जनादेश की निष्ठा तथा लोकतांत्रिक संस्थानों की पवित्रता सुरक्षित बनी रहती है। राजनीति से भयानक मोहर्भंग के वर्तमान समय में न्यायपालिका की ऐसी निर्णयक कार्रवाई नागरिकों में विश्वास पैदा करेगी तथा व्यवस्था की निष्पक्षता में उनका विश्वास मजबूत होगा। लोकन ऐसे नियमों की प्रभावशीलता के लिए जरूरी है कि सरकार उनको पूरी निश्चा के साथ लागू करे। कभी-कभी राजनेता वर्ग अपने हितों के खिलाफ जाने पर सर्वोत्तम कानूनों को भी तोड़ता मरोड़ता है। इसके साथ ही कानूनों का चयनित ढंग से प्रयोग दोषियों को दंड देने के बजाय अपने विरोधियों को पेशेश करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रक्रिया ही दंड बन जाती है। चूंकि जांच एजेंसियों सरकारी निवेदन में होती है, इसलिए अक्सर सरकार कानूनी कार्रवाई के लिए उचित मामलों का चयन करती है। लोकन इन सभके बावजूद यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पथर है, हालांकि यह स्वीकार करना जरूरी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी रहती है और यह बहुआयामी है। स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देने के प्रयास विधिक घोषणाओं से आगे जाते हैं और इनमें चुनावों की फाइनेंसिंग, संस्थागत निगरानी तथा नागरिक शिक्षा जैसे व्यापक सुधार शामिल हैं।

कृषि सब्सिडी पर डब्लूटीओ में विचार

डब्लूटीओ मंत्री सम्मेलन में भारत ने कृषि सब्सिडी कार्यक्रम पर अपना दृष्टिकोण मजबूती से रखा, लेकिन विकसित देशों ने इसका घोर विरोध किया।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक)



विश्व व्यापार संगठन-डब्लूटीओ का 26-29 फरवरी, 2024 में अर्बूधीमा में 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन गतिरोध के साथ समाप्त हुआ। इसमें एक ओर भारत ने जो 23 देशों का नेतृत्व किया जिसमें भारत, अफ्रीकी कैरिबिन और निश्चाकी भवजूत देश समाप्ति थी जिसे सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि इसमें भ्रष्टाचार प्रवेश कर जाए तो जनता का विश्वास टूट जाएगा तथा लोकतंत्र की शुद्धता होती है वर्तमान विधायिकाओं की भावना विकसित होती है। इसमें भ्रष्टाचार प्रवेश कर जाए तो जनता का विश्वास टूट जाएगा तथा लोकतंत्र की शुद्धता होती है वर्तमान विधायिकाओं की भावना विकसित होती है।

भारत के दृष्टिकोण का अमेरिका-ईयू

ने घोर विरोध किया। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की विकृति इन देशों के लिए तेवर नहीं है। इसमें सभी विधिक महत्वपूर्ण मुद्दा खाद्य सुरक्षा के लिए पब्लिक स्टार्क-होस्टिंग-पीएसएच



कार्यक्रम की जाती है। यदि भारत जैसे किसी देश

की जाती है। यदि भारत जैसे किसी देश

की जाती है।

कृषि समझौते-एओए के अंतर्गत भारत के अंतर्गत एओएसपी के साथ एंवर बाक्स' सब्सिडी के रूप में परिभाषित इन उत्पाद और गैर-उत्पाद विशेष सब्सिडी की जाती है। ये किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अलग नहीं रखी जाती है। ये किसान सुखातः अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं और उनके पास बचें रखते हैं। इनमें यह स्थापित करना भी शामिल है।

कृषि समझौते-एओए के अंतर्गत भारत के गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में परिभाषित इन उत्पाद और गैर-उत्पाद विशेष सब्सिडी की जाती है। ये किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अलग नहीं रखी जाती है। ये किसान सुखातः अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं और उनके पास बचें रखते हैं। इनमें यह स्थापित करना भी शामिल है।

कृषि समझौते-एओए के अंतर्गत भारत के गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में परिभाषित इन उत्पाद और गैर-उत्पाद विशेष सब्सिडी की जाती है। ये किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अलग नहीं रखी जाती है। ये किसान सुखातः अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं और उनके पास बचें रखते हैं। इनमें यह स्थापित करना भी शामिल है।

कृषि समझौते-एओए के अंतर्गत भारत के गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में परिभाषित इन उत्पाद और गैर-उत्पाद विशेष सब्सिडी की जाती है। ये किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अलग नहीं रखी जाती है। ये किसान सुखातः अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं और उनके पास बचें रखते हैं। इनमें यह स्थापित करना भी शामिल है।

कृषि समझौते-एओए के अंतर्गत भारत के गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में परिभाषित इन उत्पाद और गैर-उत्पाद विशेष सब्सिडी की जाती है। ये किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अलग नहीं रखी जाती है। ये किसान सुखातः अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं और उनके पास बचें रखते हैं। इनमें यह स्थापित करना भी शामिल है।

कृषि समझौते-एओए के अंतर्गत भारत के गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में परिभाषित इन उत्पाद और गैर-उत्पाद विशेष सब्सिडी की जाती है। ये किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अलग नहीं रखी जाती है। ये किसान सुखातः अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं और उनके पास बचें रखते हैं। इनमें यह स्थापित करना भी शामिल है।

कृषि समझौते-एओए के अंतर्गत भारत के गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में परिभाषित इन उत्पाद और गैर-उत्पाद विशेष सब्सिडी की जाती है। ये किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अलग नहीं रखी जाती है। ये किसान सुखातः अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं और उनके पास बचें रखते हैं। इनमें यह स्थापित करना भी शामिल है।

कृषि समझौते-एओए के अंतर्गत भारत के गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में परिभाषित इन उत्पाद और गैर-उत्पाद विशेष सब्सिडी की जाती है। ये किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अलग नहीं रखी जाती है। ये किसान सुखातः अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं और उनके पास बचें रखते हैं। इनमें यह स्थापित करना भी शामिल है।

कृषि समझौते-एओए के अंतर्गत भारत के गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में परिभाषित इन उत्पाद और गैर-उत्पाद विशेष सब्सिडी की जाती है। ये किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अलग नहीं रखी जाती है। ये किसान सुखातः अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं और उनके पास बचें रखते हैं। इनमें यह स्थापित करना भी शामिल है।

कृषि समझौते-एओए के अंतर्गत भारत के गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में परिभाषित इन उत्पाद और गैर-उत्पाद विशेष सब्सिडी की जाती है। ये किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अलग नहीं रखी जाती है। ये किसान सुखातः अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं और उनके पास बचें रखते हैं। इनमें यह स्थापित करना भी शामिल है।

कृषि समझौते-एओए के अंतर्गत भारत के गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में परिभाषित इन उत्पाद और गैर-उत्पाद विशेष सब्सिडी की जाती है। ये किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अलग नहीं रखी जाती है। ये किसान सुखातः अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं और उनके पास बचें रखते हैं। इनमें यह स्थापित करना भी शामिल है।

कृषि समझौते-एओए के अंतर्गत भारत के गरीबों को

